कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश,

लखनऊ -226010

का.आ. सं. म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.ए./फा.सं.-57/ **दिनांक: 14.10.2022**

कार्यालय आदेश

सभी लेखापरीक्षा समूहों के द्वारा जारी की जा रही लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा के उपरांत, आतंरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा सम्बंधित संपादन अनुभागों को सामान्य एवं विशिष्ट बिन्दुओं/आपत्तियों का प्रेषण अग्रेतर कार्यवाही हेतु किया जाता है। सम्बंधित संपादन अनुभागों द्वारा उक्त प्रेषित बिन्दुओं/आपत्तियों के उत्तर आतंरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराये जाते हैं। उपलब्ध कराये गए उत्तरों का विवरण पत्रावली में महालेखाकार महोदया को प्रस्तुत किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की पत्रावली के अवलोकन के दौरान महालेखाकार महोदया के संज्ञान में आया कि लेखापरीक्षा दलों एवं संपादन अनुभागों के द्वारा वर्तमान में लागू सुसंगत नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं आतंरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा आपत्तियों को इंगित किये जाने पर प्राय: आतंरिक लेखापरीक्षा अनुभाग की आपत्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु मात्र नोट कर लिया जाता है।

अत: इस सम्बन्ध में महालेखाकार महोदया ने यह निर्देशित किया है कि ओ.आई.ओ.एस. के क्रियान्वयन से हुए लेखापरीक्षा के तौर-तरीकों में बदलावों के अतिरिक्त, वे सभी निर्देश/आदेश जो मुख्यालय एवं आई.टी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन करना, समस्त लेखापरीक्षा दल एवं संपादन अनुभाग सुनिश्चित करें।

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदया का आदेश दिनांक: 14.10.2022)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए.

का.आ. सं. म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.ए./ फा.सं.-57/ ~~154~~ 151 **तददिनांक**

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-III
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II
4. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-I
5. सचिव महालेखाकार
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. सेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

14/10/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए